सं0-24/2018/1044/62-2-2018-2/3(22)/2018

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड,
सीतापुर।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 16 अप्रैल,2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 (टी0एस0पी0) के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग) (जिला योजना) में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-2367/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/2018-19, दिनांक 12.03.2018 व पत्र संख्या-जी-208/ल0सिं0/बजट-3/2018-19 दिनांक 03.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 (टी0एस0पी0) के अधीन संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना (जिला योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0-20.00 लाख (रू0-बीस लाख मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत नि:शुल्क बोरिंग योजना में टी0एस0पी0 के कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई/स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नि:शुल्क बोरिंग योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू की जाये, जहां भू-गर्भ् जल दोहन की स्थिति संतोषजनक हों। इस योजना में भू-गर्भ जल समस्या वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा प्रतिबन्धित किया जायेगा।

(6) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड़, जो किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(7) प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन शासनादेश सं0-3942/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 20-11-2012 द्वारा निर्गत गाईड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत योजना मे प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार फॉट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियॉ संशोधित कर ली जायेंगी।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2018 तक
3-	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण्	15-12-2018 तक
4-	वर्ष 2018-19 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2019 तक
5-	आवंटन का समर्पण	15-03-2019 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2019 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 (टी0एस0पी0) के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-04-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक:यथोक्त</u>

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-24/2018/1044(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्र्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।

6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।

7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।

8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

13- एन0आई0सी0 की प्रति।

14- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

15- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

16- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

शासनादेश सं0-24/2018/1044/62-2-2018-2/3(18)/2018, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-लघु तथा सीमांत कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष् अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	वर्ष 2017-18 में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	बजट प्राविधान	प्रस्तावित अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	खीरी	34.40	20.00	20.00
	योग-	34.40	20.00	20.00

(रू0-बीस लाख मात्र)

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।